(1)

(3)

CHST

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग.

विविध प्रकरण कमांक ...874/03 2003 Division Bench

विविध अपील अंतर्गत धारा 173 मोटरयान अधिनियम 1988

अपीलार्थी / आवेदक — सुरेश पाल आत्मज स्व. दयानिधि पाल
उम्र 22 वर्ष
निवासी आर.सी. सायकल स्टोर्स के पास
भरत नगर, रायपुर जिला रायपुर छ.ग.

वि रु द्ध

उत्तरवादीगण/
अनावेदकगण

1. तुलसीदास आत्मज हिरऊ गायकवाड़
निवासी ग्राम व पोस्ट बासीन
थाना सुहेला जिला रायपुर छ.ग.
(मिनी बस क्र. एम पी 23 जे-0506 का चालक)

2. वसीम रजा आत्मज मोहम्मद अब्बास
निवासी मौदहापारा थाना मौदहापारा
जिला रायपुर छ.ग.
(मिनी बस क्र. एम पी 23 जे-0506 का पंजीकृत स्वामी)

3. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
द्वारा संभागीय प्रबंधक
न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
मदीना बिल्डिंग कचहरी चौक,रायपुर छ.ग.
(मिनी बस क्र. एम पी 23 जे-0506 का बीमाकर्ता)

P. R. No. 1983/03
Presented by Shri C.R. Saini
dated 30.08.03

मांगी गई क्षतिपूर्ति राशि	5,27,000/ -
प्रदान की गई क्षतिपूर्ति राशि	36,500/ -
दावाकृत क्षतिपूर्ति राशि	4,90,500/ -

सुरेश पाल विरुद्ध तुलसीदास व अन्य दो के दावा प्रकरण कमांक 140/ 02 मे माननीय प्रथम अतिरिक्त

XI-HC-22

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक M.A.No. 840/03 **सन्** **200**

..... विरुद्ध .....

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश

LOK ADALAT

02/09/2006

Shri CR Sahu, counsel for the appellant.

None for respondents No. 1 & 2.

Shri P.K. Singh, Divisional Manager, New India Insurance Company Ltd. with Shri Sudhir Agrawal, counsel for respondent No.3.

In terms of compromise, award is passed as below:-

1) In addition to compensation already awarded by the Tribunal, respondent No. 3, Insurance Company shall pay Rs.35,000/- (Rupees Thirty-five thousand) to the appellant.
2) For disbursement and deposit in FDR, the direction and ratio adopted by the Tribunal, if any, shall follow.
3) The amount kept in deposit with Bank shall be payable under the orders of Tribunal in accordance with law.
4) Appellant shall be entitled to receive interest on the amount so deposited.
5) In view of the above, appeal against respondents No. 1 & 2 stands dismissed.
6) Copy of the award shall be given to the parties free of cost.

Sd/-

(Justice Vijay Kumar Shrivastava)
Member-Lok Adalat
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur.

Sd/-

Member - Lok Adalat
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur.

Raju

(पीछे देखिये)